

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या  
15/42/2020

रजिस्ट्रेशन नं०  
2020/00193

प्रवेश तिथि  
27/07/2020

निर्णय दिनांक  
28.11.2022

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गबदू सिंह, निवासी ग्राम सालपुर नगहोरी, तहसील नीमराना, जिला अलवर 301705 (राजस्थान)
2. श्रीमती किरोस्ता पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सालपुर नगहोरी, तहसील नीमराना, जिला अलवर 301705 (राजस्थान)
3. श्री हेमन्त पुत्र बालकेश कुमार, निवासी ग्राम भीमसिंहपुरा, तहसील बहरोड़ माजरी कंला जिला अलवर 301703 (राजस्थान)
4. मैसर्स ग्लोबल पावर सेल्स एण्ड सर्विसेस प्रो० श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गबदू सिंह, निवासी ग्राम सालपुर नगहोरी, तह० नीमराना, जिला अलवर 301705 (राजस्थान) (ऋण खाता ब)

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड  
रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट  
ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से, यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड  
रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002  
प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को "ऋण खाता  
अ" में दिनांक 24.04.2018 को 22,00,000/-रुपये (Rupees Twenty Two Lakh Rupees Only)  
एवं "ऋण खाता ब" में दिनांक 24.04.2018 को 7,00,000/-रुपये (Rupees Seven Lakh Rupees  
Only) जो Total Aggregating Loan Amount Rs. 29,00,000/-रुपये (Rupees Twenty Nine  
Lakh Rupees Only) उपलब्ध कराई थी, जो "ऋण खाता अ" में दिनांक 07.10.2019 को  
8,26,481/-रुपये (Rupees Eight Lakh Twenty Six Thousand Four Hundred Eighty One  
Rupees Only) एवं "ऋण खाता ब" में दिनांक 13.11.2019 को 7,29,781.75/-रुपये (Rupees  
Seven Lakh Twenty Nine Thousand Seven Hundred Eighty One Rupees & Seventy Five  
Paisa Only) जो की कुल राशी 15,56,262.75/-रुपये ( Rupees Fifteen Lakh Fifty Six  
Thousand Two Hundred Sixty Two Rupees & Seventy Five Paisa Only ) है। ब्याज/लेट  
पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा  
अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की  
सम्पत्ति "श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गबदू सिंह की मकान नं० 195, पट्टा नं० 33, मेहता का मौहल्ला,  
पानी की टंकी के पास, ग्राम-सिलारपुर ग्राम पंचायत सिलारपुर, पंचायत समिति नीमराना,  
पोस्ट-नागहोरी, तहसील-नीमराना जिला अलवर (राज०) स्थित आवासिय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध  
रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1407 वर्गफीट) तथा ऋण खाता (ब) मैसर्स ग्लोबल पावर सेल्स एण्ड

जिला मजिस्ट्रेट  
अलवर (राज०)

सर्विसेज का हाईपोथिकेटेड स्टॉक एण्ड बुक-डेब्ट्स" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।


उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.10.2019 एवं दिनांक 15.11.2019 के द्वारा नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गबदू सिंह की मकान नं० 195, पट्टा नं० 33, मेहता का मौहल्ला, पानी की टंकी के पास, ग्राम-सिलारपुर, ग्राम पंचायत सिलारपुर, पंचायत समिति नीमराना, पोस्ट नागहोरी, तहसील नीमराना, जिला अलवर (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1407 वर्गफीट) तथा ऋण खाता (ब) मैसर्स ग्लोबल पावर सेल्स एण्ड सर्विसेज का हाईपोथिकेटेड स्टॉक एण्ड बुक-डेब्ट्स" को दिनांक 17.09.2019 को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।



  
(डॉ० जितेंद्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर  
अलवर (राज०)